| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**1. अपील डिक्री/टीए/4791/2008/ हनुमानगढ**<br>**फुला देवी बनाम मु0नीमा देवी व अन्य**<br>**2. अपील डिक्री/टीए/4833/2008/ हनुमानगढ**<br>**श्यामलाल बनाम मु0नीमा देवी व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.12.2021 | **खण्डपीठ**<br>**श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष**<br>**श्री रामनिवास जाट, सदस्य**<br><br>**उपस्थित**<br>श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अधिवक्ता अपीलांट<br>श्री ओ0पी0मोदी, अधिवक्ता रेस्पो0<br><br>**निर्णय**<br><br>उपरोक्त दोनों अपीलें अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ दिनांक 01.05.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त दोनों अपीलों में पक्षकार समान है व विवादित आराजी भी समान है तथा एक ही निर्णय दिनांक 01.05.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। इसलिए उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतिलिपि उपरोक्त तीनों अपीलों में पृथक–पृथक से लगायी जावे।<br><br>प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश, हनुमानगढ के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर वादी व प्रतिवादीगण को तलब किया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष जबाव दावे प्रस्तुत किये। परीक्षण न्यायालय ने दावे व जबाव दावे के आधार पर 10 तनकीयात कायम करते हुये दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.08.05 से वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादिया को बहिस्सा बराबर की अधिकारिणी माना। प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादिया को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार हनुमानढ को कमिश्नर नियुक्त किया गया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25.8.05 से व्यथित होकर | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**1. अपील डिक्री/टीए/4791/2008/ हनुमानगढ**<br>**फुला देवी बनाम मु0नीमा देवी व अन्य**<br>**2. अपील डिक्री/टीए/4833/2008/ हनुमानगढ**<br>**श्यामलाल बनाम मु0नीमा देवी व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अपीलांट की माता फुला देवी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानढ के समक्ष अपील संख्या 111/2005 प्रस्तुत की। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25.8.05 से व्यथित होकर रेस्पो0 संख्या 1 भी एक अपील, अपील संख्या 112/2005 प्रस्तुत की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ ने दोनों ही अपीलों को अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.05.2008 से एक साथ निर्णित करते हुये अपील संख्या 111/2005 को अस्वीकार कर दिया तथा अपील संख्या 112/2005 स्वीकार करते हुये विवादित आराजी में वादीया नीमादेवी को खातेदार घोषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 01.5.2008 से ग्रसित होकर यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी है।<br>उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।<br>विद्वान अभिभाषक अपीलांट में अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादीया/रेस्पो0 संख्या 1 ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व 53 के तहत प्रस्तुत किया था। रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त न हीं रहा है तथा ना ही उसने अपीलांट की माता द्वारा विक्रय की गयी भूमि के सहखातेदारान को वाद में ही पक्षकार बनाया था। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाद विभाजन का वाद होने के कारण बिना आवश्यक पक्षकारान को वाद में पक्षकार बनाये डिक्री नहीं किया जा सकता था। वादीया/रेस्पों0 संख्या 1 द्वारा वाद में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने का तथ्य रिकार्ड पर आ चुका था लेकिन दोनों ही | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**1. अपील डिक्री/टीए/4791/2008/ हनुमानगढ**<br>**फुला देवी बनाम मु0नीमा देवी व अन्य**<br>**2. अपील डिक्री/टीए/4833/2008/ हनुमानगढ**<br>**श्यामलाल बनाम मु0नीमा देवी व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अधीनस्थ न्यायालयों इस तथ्य ध्यान दिये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना ठोस साक्ष्य के फूलादेवी के पति खेताराम के पिता पालाराम से विरासतन प्राप्त होना गलत माना है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालायों ने प्रदर्श–2 पर्चा खतौनी उपनिवेश विभाग का गलत पठन किया है। विवादग्रस्त आराजल खेताराम व फूलादेवी की आरजी काश्त की आराजी रही है इस कारण ही फूला देवी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। रेस्पो0 1 के मात्र फूलादेवी व खेताराम की पुत्री होने के आधार पर ही वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय परवर्श है तथा स्पष्ट नहीं है। दोनों ही अधीस्थ न्यायालयों ने यह स्वीकार किया है कि चक 8 ए0डी0 की नकल जमाबंदी प्रदर्श–4से स्पष्ट है कि कुल 6.200 है0 आराजी में फूलादेवी 1/5 हिस्सा प्री–55 अंकित है व चक 18 एन0डी0आर0 नकल जमाबंदी प्रदर्श–3 में कुल 1.063 है0 में फूलादेवी 1/6 हिस्से की खातेदार दर्ज है। जब दोनों ही जमाबंदीया में विवादग्रस्त आराजी स्वयं फूलादेवी की प्री 55 की मान ली, इस तथ्य से यह अपने आप साबित हो जाता है कि खेताराम का स्वर्गवास 1955 से पूर्व होने से प्री–55 की भूमि अकेली फूलादेवी के नाम दर्ज की गई थी। रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित आराजी में तत्कालीन कानून के तहत कोई हक हिस्सा व अधिकार विरासतन प्राप्त नहीं होते हुये भी उसे खातेदार घोषित कर दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों तात्विक अनियमितता की है जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दोनें ही अधीनस्थ न्यायालय यह स्वीकार कर रहे हे कि वादीया व प्रतिवादीया दोनें ही खेताराम की मृत्यु कब हुई साबित नहीं कर पाये है तो खेताराम का स्वर्गवास हिन्दु उत्राधिकारी अधिनियम लागू होने के बाद का आधार कैसे माना जा सकता है। इस आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**1. अपील डिक्री/टीए/4791/2008/ हनुमानगढ**<br>**फुला देवी बनाम मु0नीमा देवी व अन्य**<br>**2. अपील डिक्री/टीए/4833/2008/ हनुमानगढ**<br>**श्यामलाल बनाम मु0नीमा देवी व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | को लाभ नहीं पहुॅचाया जा सकता है। बहस के विद्वान अभिभाषक ने 1996(1) डब्ल्यू0एल0एन पेज 333 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।<br><br>विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 नीमा देवी के दादा पालाराम की सन 1955 से पूर्व की आराजी काश्त की भूमि मुण्डा रोही में 39.04 बीघा थी जो दिनांक 10.8.71 में आवंटित थी। इस भूमि के अलावा नीमा देवी के पति की भी आराजी की भूमि रोही मुण्डा में थी जो कालांतर में खेतारा की मृत्यु के पश्चात फूलादेवी ने नीमा देवी से छुपाकर व खेताराम की तन्हा वारिस बताकर अपवने नाम दर्ज करवा ली। यह भूमि वर्तमान में चक 11 एम.डी. में 19.17 बीघा है। उक्त भूमि के अलावा स्व0 कपूराराम व खेताराम की सन् 1955 से पूर्व से की 15 बीघा भूमि रोही मुण्ड में थी जिसमें 1/3 हिस्सा खेताराम का था। खेताराम की मृत्यु के पश्चात इस भूमि में 1/3 हिस्सा फूला देवी ने नीमा दवे से छुपाकर अपने नाम दर्ज करवा लिया। वर्तमान में यह भूमि चक 1 एम डब्ल्यू में 13 बीघा है। रेस्पो0 नीमा देवी खेताराम की प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण वाद पत्र की चरण संख्या 3 ता 5 में वर्णित भूमि में नीमा देवी का अपीलांट फूलादेवी के साथ बहिस्सा बराबर का हक है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट फूला देवी द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्रय की जा चुकी है व शेष भूमि में फूला देवी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। खेताराम की मृत्यु के सयम उसके दो वारिस फूला देवी व नीमा देवी थे इसलिए खेताराम की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पूर्ण भूमि में दोनेां का बहिस्सा बराबर का हक है। श्याम लाल को फूला देवी ने 1955 में गोद लिया था। फूलादेवी की मृत्यु के समय उसके धारण में कोई भूमि नहीं थी इसलिए श्यामलाल को रेस्पो0 नीमा देवी की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**1. अपील डिक्री/टीए/4791/2008/ हनुमानगढ**<br>**फुला देवी बनाम मु0नीमा देवी व अन्य**<br>**2. अपील डिक्री/टीए/4833/2008/ हनुमानगढ**<br>**श्यामलाल बनाम मु0नीमा देवी व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

अपीलांट फूला देवी द्वारा अन्य व्यक्तियों को विक्रय की गई भूमि में रेस्पो0 नीमा देवी ने किसी प्रकार की घोषणा नहीं चाही है इसलिए उन्हें वाद में पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं था। इसलिए अपील संख्या 111/05 में पारित निर्णय निरस्त किया जाकर फूला देवी के नाम से अंकित शेष भूमि का रेस्पो0 नीमा देवी को खातदोर घोषित किया जावे। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2017 आर0आर0टी0 (1) पेज 168 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनतापूर्वक अध्ययन किया।

परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकी संख्या 2 व 3 में निम्नानुसार वर्णन अंकित किया गया है –

**<u>तनकी संख्या–2</u>**

''आया स्व0 खेताराम की मृत्यु सन् 1955 से पूर्व हुई थी? यदि ऐसा है तो दावे पर क्या असर है ।''

प्रतिवादी

प्रतिवादी अपने जबाव दावे व बयानों से खेताराम की मृत्यु 1955 से पूर्व होना व वादी के जबावबुल जबाव व बयानों में खेताराम की मृत्यु 1955 के बाद होना बतलाते है। किसी भी पक्षकार द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि खेताराम का स्वर्गवास कब हुआ था। वादिया नीमा देवी पी0डब्ल्यू 1 अपने बयानों में खेताराम का स्वर्गवास हुये 40 वर्ष होना बतलाती है व अपनी उम्र 62 वर्ष होना बतलाती है। गवाह चेतनराम अपनी राम अपनी उम्र 55 वर्ष होना व जब वह 15 वर्ष काथा तब खेताराम का स्वर्गवास होना बतलाता है। गवाह अचलाराम पी0डब्ल्यू0 3 भी अपने बयानों में खेताराम का स्वर्गवास 40 वर्ष पूर्व होना बतलाता है। वहीं प्रतिवादी श्यामलाल डी0डब्ल्यू 1 अपने मुख्य बयानों में खेताराम की मृत्यु बाबत कुछ नहीं

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**1. अपील डिक्री/टीए/4791/2008/ हनुमानगढ**<br>**फुला देवी बनाम मु0नीमा देवी व अन्य**<br>**2. अपील डिक्री/टीए/4833/2008/ हनुमानगढ**<br>**श्यामलाल बनाम मु0नीमा देवी व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

कहता है। वहीं प्रतिवादी फूला देवी डी डब्ल्यू 2 अपने बयानों में अपनी उम्र 90 वर्ष व खेताराम की मृत्यु 1955 से पूर्व होना बतलाती है। वहीं जिरह में खेताराम को फोत हुये 70साल होना बतलाती है। लेकिन वादी द्वारा सवंत 2010 ता 2013 जमाबंदी की नकल प्रदर्श 5 पेश की है। उसमें खेताराम वल्द पालाराम का नाम दर्ज है। तथा कोलोनाईजेशन विभाग की पर्चा खतौनी प्रदर्श 2 में यह अंकित है कि तहसीलदार सा0 के आदेश मि0नं0 21 दिनांक 21.4.75 व हुक्म 16.5.75 के अनुसार पाला फोत व उसके जायज वारिसान मु0 दाखा, कपूरा, हरिराम, चानणराम, मनीराम, पि0 पाला, मु0पाला बेवा खेताराम के नाम से विरासतन तस्दीक हुआ। इस रिकार्ड से यह निष्कर्ष निकलता है कि खेताराम संवत 2013 में तो जीवित था लेकिन संवत 2013 के बाद खेताराम का स्वर्गवास हुआ है। अतः खेताराम का स्वर्गवास हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के बाद हुआ है। अतः खेताराम का स्वर्गवास न्यू हिन्दु लॉ लागू होने से वादिया प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खेताराम की भूमि की विरासतन हकदार है।

**<u>तनकी सख्या 3</u>** – '' आया वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चक 5 एमडब्ल्यू की 10 बीघा, चक 8 एमडी की 25 बीघा, चक 18 एनडीआर की 4.04 बीघा भूमि में स्व0 पाला राम की मृत्यु के उपरांत वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ब0हि0ब0 की अधिकारिणी है।''

''वादिया द्वारा चक 5 एमडब्ल्यू की भूमि बाबत कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया केवल अपने दावे में प्रतिवादी द्वारा चक 5 एमडब्ल्यू की भूमि बेचना बतलाती है। तथा ना ही विक्रय पत्र की नकल पेश की। राजस्व रिकार्ड के अभाव में चक 5 एम डब्ल्यू की भूमि बाबत अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। वादिया द्वारा पेश चक 8 एमडी की नकल जमाबंदी प्रदर्श 4 से स्पष्ट है कि कुल 6.200 है। आराजी में फूलादेवी 1/5 हिस्सा पूर्व 55 अंकित है व चक 18 एनडीआर नकल

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**1. अपील डिक्री/टीए/4791/2008/ हनुमानगढ**<br>**फुला देवी बनाम मु0नीमा देवी व अन्य**<br>**2. अपील डिक्री/टीए/4833/2008/ हनुमानगढ**<br>**श्यामलाल बनाम मु0नीमा देवी व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

जमाबंदी प्रदर्श 3 में कुल 1.063 में फुला देवी 1/6 हिस्से की खातेदार दर्ज है। अतः चक 18 एनडीआर में दाखा का नाम कलमजन किया जाकर उसके वारिसानों के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। अतः वादिया चक 8 एमडी व चक 18 एनडीआर में फूला बेवा खेता के साथ ब0हि0ब0 की काश्तकार दर्ज कराने की अधिकारिणी है।''

इस प्रकार इस प्रकरण में विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय व इस न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियां पैतृक भूमियां होना पूर्णतया सिद्ध होती है। इस प्रकार की पैतृक भूमियों में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 के अनुसार पुत्री प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण उसे पैतृक भूमियों से उसके वंशानुगत हक व अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में रेस्पो0 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत से भी इस विधिक स्थिति की पूर्णतया पुष्टि होती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है, जो विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते है।

परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 01.05.2008 व 25.08.2005 यथावत रखे जाते है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(रामनिवास जाट)**
**सदस्य**

**(राजेश्वर सिंह)**
**अध्यक्ष**